निशुल्क प्रकाशन हेतु

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रेस विज्ञप्ति

विषयः– मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के नवीनीकरण आवेदन फार्म जमा कराने के सम्बन्ध में अन्तिम तिथि में अभिवृद्वि।

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक एफ 23 (34)/ लेखा/निकाशि/छात्रवृति/2013–14/1300–1310 दिनांक 2.7.2013 एवं, पत्र कमांक एफ 23 (34)/ लेखा/निकाशि/छात्रवृति/2013–14/1417–1425 दिनांक 22.8.2013 द्वारा सत्र 2013–14 के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना में नवीनीकरण आवेदन पत्र (प्रपत्र–ख एवं प्रपत्र–ग) आमंत्रण की तिथि राजकीय/निजी/तकनीकी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु 20.9.2013 रखी गई थी। किन्तु कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा अभी तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं करने तथा जिनके द्वारा परिणाम घोषित किये गये है, उनके द्वारा अंकतालिका उपलब्ध नहीं कराने से उक्त तिथियों में निम्नानुसार अभिवृद्वि की जाती है :–

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना (राजकीय/निजी/तकनीकी महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष में नियमित अध्ययरत वे विद्यार्थी जिन्हे गत वर्ष छात्रवृति स्वीकृत की गई थी **प्रपत्र 'ख' नवीनीकरण आवेदन पत्र ।** गत वर्ष में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत किन्तु छात्रवृति से वचित तथा 2013 में द्वितीय वर्ष में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु **प्रपत्र 'ग' में आवेदन पत्र।**	महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **10.10.2013** तक	महाविद्यालय द्वारा संबंधित जिला नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **15.10.2013** तक

उपरोक्त छात्रवृति से संबंधित नियमों / शर्तो की पूर्ण जानकारी एवं आवेदन फॉर्म विभाग की वेबसाईट http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in तथा http://dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। महाविद्यालय/विद्यार्थी/अभिभावक आवेदन फार्म डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

नोटः–

1– समस्त अध्ययनरत विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालय में आवेदन पत्र जमा करावें।

2– संस्था प्रधान प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करते हुए मय संलग्नको के संबंधित जिला नोडल अधिकारी को निर्धारित तिथि पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

3– विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

4– निदेशालय में महाविद्यालयों/विद्यार्थियों/अभिभावको से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(आर. एस. मक्कड)
अतिरिक्त निदेशक

कमांकः–एफ23(45)लेखा/निकाशि/मुउशिछायो./2013–14/ 1567–1575 दिनांक 26/9/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को आठ प्रतियों सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया इसका प्रकाशन, राजस्थान के राजस्थन पत्रिका/ दैनिक भास्कर के सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करावें।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
3. निदेशक, आकाशवाणी, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
5. संपादक, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर में उक्त प्रेस विज्ञाप्ति का निःशुल्क प्रकाशन राजस्थान के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशन करावें।
6. समस्त प्राचार्य, राजकीय /निजी / तकनीकी महाविद्यालय, राजस्थान, जयपुर ।
7. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को संशोधित तिथि से सूचित करावें ।
8. समस्त विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय तथा विभाग, राजस्थान, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, निवाई टोंक को अपने अधीनस्थ विभागों एवं महाविद्यालयों को सूचित कराने बाबत प्रेषित है ।
9. वेबसाईट अनुभाग को अपलोड करने हेतु ।

(आर. एस. मक्कड़)
अतिरिक्त निदेशक